



2026:AHC:125094

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 19190 वर्ष 2026

गोविंद सिंह

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : भारत सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका केस संख्या 67/2026, धारा 103(1), 3(5), 352, 351(3) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस स्टेशन दातागंज, जिला बदायूं में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- अभियोजन पक्ष के अनुसार, सह-आरोपी मोनू ट्रैक्टर चला रहा था और आवेदक उक्त ट्रैक्टर पर बैठा था। सह-आरोपी ने जानबूझकर मृतक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
- आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि न तो एफआईआर में, न ही प्रथम सूचनादाता के बयान में और न ही नामित गवाहों के बयानों में आवेदक के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है। ट्रैक्टर को कुचलकर मृतक की हत्या करने का विशिष्ट आरोप सह-आरोपी मोनू के खिलाफ लगाया गया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी शादाब को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13657/2026 में दिनांक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24.04.2026 के आदेश के तहत पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसलिए, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का भी हकदार है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक आबकारी अधिनियम के तहत एक मामले में संलिप्त पाया गया है, जिसमें उसे इकबालिया बयान के आधार पर 500 रुपये का जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया गया है। आवेदक 10.03.2026 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

7. उपर्युक्त अपराध में अभियुक्ता **गोविंद सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
11. यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 31.01.2023 को स्वतः संज्ञान लेते हुए (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में दिए गए निर्णय के अनुपालन में हो, जिसका निर्णय 29.05.2026 को हुआ था।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

3 जून, 2026

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।